महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–478 / नौ–9–2017–170ज / 06टी0सी0

प्रेषक

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊ : दिनांक 26 मई, 2017

विषयः उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली–2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–452 / नौ–9–2017–170ज / 06 टी0सी0, दिनांक 22.05.2017 एवं तदनुक्रम में निदेशक,स्थानीय निकाय के पत्र संख्या–3 / 828 / 281–पथ विक्रय / 17,दिनांक 25.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10.05.2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली–2017 के उपबन्धों के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना, विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन, नये पथ विक्रय बाजार बनाने, पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित किये जाने, पथ विक्रेताओं का परिचय पत्र जारी करने इत्यादि कार्यवाही की योजना / समय–सारिणी का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली–2017 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पथ विक्रय समिति का गठन, पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना, विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन, नये पथ विक्रय बाजार बनाने, पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित किये जाने, पथ विक्रेताओं का परिचय पत्र जारी करने इत्यादि कार्यवाही की जानी है। उक्त पथ विक्रेता नियमावली में विहित उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्न समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क0सं.	कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
1	नियम–4 के अन्तर्गत पथ विक्रय समिति का गठन	15 जुलाई,2017 तक
2	नियम–15 के अन्तर्गत विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन (वेडिंग / नो वेडिंग जोन)	15 अगस्त,2017 तक

3	नियम–12 के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण	30 अगस्त,2017 तक
4	नियम–13 के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	30 सितम्बर,2017 तक
5	नियम–14 के अन्तर्गत पथ विक्रय प्रमाण पत्र दिया जाना	15 अक्टूबर,2017 तक
6	नियम–22 के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र दिया जाना	30 अक्टूबर,2017 तक

3. उल्लेखनीय है कि उक्त नियमावली के नियम–28 में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य स्तर पर पथ विक्रय से सम्बन्धित समस्त मामलों के समन्वय के लिये निदेशक, स्थानीय या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होंगे। अतः उक्त व्यवस्थानुसार निदेशक,स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त मामले में नोडल अधिकारी नामित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली–2017 में निहित उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त समय–सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा समय–समय पर की गयी कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश ।
(2) जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक,राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ0प्र0(सूडा)
(3) सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,उ0प्र0 (द्वारा–निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0)
(4) वेब मास्टर,वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(उमेश प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।